IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–02 / 2015
सुशीला देवी
बनाम
बिहार सरकार एवं अन्य

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.09.2016	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी सुशीला देवी पति–मन्टु प्रसाद ग्राम–केतरू नवादा थाना–गिद्धौर जिला–जमुई के द्वारा निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई के वाद सं0–05 / 2015–16 सुशीला बनाम मंजु कुमारी में पारित आदेश दिनांक 23.07.15 के विरूद्ध लाया गया है और ग्राम–केतरू नवादा आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–47 पर मंजु कुमारी के चयन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन का आधार निम्नांकित दिया है:– 1. मैपिंग पंजी में मंजु कुमारी का नाम नहीं था, किन्तु बाद में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मिलीभगत करके नाम जोड़ा गया और मंजु कुमारी का चयन किया गया। 2. चयनित सेविका मंजु कुमारी का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता–सूची में नहीं है एवं सुरेश यादव की पत्नी का नाम मतदाता–सूची में बेबी देवी अंकित है। उन्होंने कहा है कि इस पर उन्होंने दिनांक 18.09.14 को जिला पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति भी दाखिल की थी। उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाता–सूची में उनकी आयु 46 वर्ष अंकित है जो कि निर्धारित अर्हता से बाहर है। इसके साथ उनका यह कहना है कि निम्न न्यायालय ने उनके द्वारा दाखिल कागजातों का विधिवत अध्ययन व परिशीलन किये बगैर आदेश पारित कर दिया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुना एवं इस न्यायालय एवं निम्न न्यायालय में दाखिल उभय पक्ष के कागजात एवं विभिन्न आवेदनों का अवलोकन किया। उपलब्ध कागजात के अवलोकन से एवं आँगनबाड़ी सेविका चयन मार्गदर्शिका, 2011 के नियमावली के आलोक में यह स्पष्ट है कि सेविका हेतु उम्र निर्धारण हेतु मैट्रिक का प्रमाण–पत्र ही विधिमान्य साक्ष्य है न कि मतदाता–सूची में अंकित आयु। अतः अपीलार्थी का आयु अर्हता संबंधी आपत्ति स्वीकारयोग्य नहीं है। जहाँ तक पोषक क्षेत्र से बाहर होने, मैपिंग पंजी में नाम दर्ज नहीं होने एवं मतदाता सूची में नाम बेबी देवी अंकित होने के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है उसके संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल जनता दरबार में दिए गए आवेदन दिनांक 18.09.14 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने इस आवेदन के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि मतदाता–सूची में मंजु कुमारी का नाम ही बेबी देवी अंकित है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस आवेदन के माध्यम से वे स्वीकार करती हैं कि मंजु कुमारी उसी वार्ड की निवासिनी हैं। उन्होंने कहीं पर भी यह दावा नहीं किया है कि मंजु	

कुमारी इस वार्ड की निवासी नहीं है। उनका दावा मात्र यही रहा है कि मंजु कुमारी का नाम मैपिंग पंजी में नहीं था। मैपिंग पंजी में नाम होने के संबंध में चयनित सेविका मंजु कुमारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि मैपिंग पंजी उस केन्द्र की मृत सेविका चन्द्रकला देवी द्वारा तैयार किया गया था जो रिश्ते में अपीलार्थी की सास है। प्रमाण स्वरूप उन्होंने पंचायत निर्वाचन 2011 के मतदाता–सूची की छायाप्रति भी दाखिल की है। इससे यह संभावना प्रबल हो जाती है कि चयनित सेविका का नाम मैपिंग पंजी में जानबूझकर छोड़ा गया होगा।

जहाँ तक मिलीभगत के आधार पर मैपिंग पंजी में बाद में नाम जोड़ने का प्रश्न है इस संबंध में विभागीय नियमावली में स्पष्ट है कि पोषक क्षेत्र के किसी लाभुक/परिवार का नाम अगर मैपिंग पंजी में छुटा हुआ है तो जाँच कराकर उसका नाम शामिल किया जा सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध मैपिंग पंजी की छायाप्रति एवं पोषक क्षेत्र का नजरी नक्शा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मंजु कुमारी का नाम मैपिंग पंजी में नहीं होने की जाँच विधिवत करायी गयी है और नाम मैपिंग पंजी में शामिल किया गया है। अपीलार्थी ने जो मिलीभगत का आरोप लगाया है वह भी आधारहीन प्रतीत होता है, क्योंकि अगर इसमें प्रत्युत्तर वादियों की मिलीभगत होती तो चयनित सेविका के परिवार का नाम पूर्व में ही मैपिंग पंजी में अंकित कर दिया गया होता।

उपरोक्त के आलोक में चयनित सेविका के चयन को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं प्रतीत होता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Ka 2/9/16
जिला पदाधिकारी,
जमुई।

Kaushal 2/9/16
जिला पदाधिकारी,
जमुई।